

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण

रोहिणी केलुत¹ डॉ- एस- के- त्रिवेदी²

शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा विभाग

1. शोधकर्ता श्याम विश्वविद्यालय लालसोट दौसा राजस्थान
2. पर्यवेक्षक श्याम विश्वविद्यालय लालसोट दौसा राजस्थान

सार—

शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। शिक्षा के आधार पर महिला में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है, वरन उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। महिला की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है। न्यून शैक्षिक स्तर का सीधा प्रभाव है इस मानव पूंजी (महिला) का निम्न स्तरीय विकास, कुशलता का निम्न स्तर तथा श्रम बाजार में न्यून भागीदारी। महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। समाज के लिए स्त्री का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान होना जरूरी है और वह शिक्षा से ही सम्भव है। जब स्त्री की स्वयं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणों से निम्न होगी तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पायेंगी, यह प्रश्न अत्यन्त चिन्तशील है क्योंकि एक तो स्त्रियाँ स्वयं राष्ट्र की आधी से कम जनसंख्या है तथा दूसरा, बच्चे, युवा, प्रौढ़ और वृद्धजन उन पर अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं। शोध पत्र में भारतीय महिलाओं के जीवन में शिक्षा की उपयोगिता को दर्शाया गया है।

प्रस्तावना—

भारतीय महिला जीवन में यदि शिक्षा की बात की जाए तो हम पाएंगे की इसमें कभी भी निरंतरता नहीं रही। किसी समय काल में भारतीय महिलाएँ पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त एवं शिक्षित रहीं तो अन्य युगों में उसे योजनाबद्ध तरीकों से शिक्षा से वंचित रखते हुए घर की चार दिवारी में सीमित कर दिया गया। शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। मकोल व अन्य के अनुसार “किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा को विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का तरीका है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है। उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुँच है तथा राजनीतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है? देखा जाय तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को उठाने में सहायता की है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा के द्वारा एक महिला असहाय व अबला से सशक्त और सबला बनती है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं में छिपी हुई उन शक्तियों, गुणों तथा प्रतिभाओं को विकसित करना, जिनको व्यवहार में लाकर व अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सके और यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। विश्व विकास रिपोर्ट 1993-99 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक होने के साथ ही प्रजननता को कम करके, बच्चों के उचित पालन पोषण तथा माता-पिता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है। सामान्य तौर पर शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायक होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है तथा उनका सशक्तिकरण होता है। आर्थिक स्वायत्तता से निर्भरता एवं पुरुष प्रधानता तथा वर्चस्व ध्वस्त होने से न सिर्फ महिला व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होगी अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होंगे कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह जायेगी और एक नयी समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आयेगी जिसमें महिला और पुरुष दोनों का समान महत्व होगा।

शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। शिक्षा के आधार पर महिला में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है, वरन उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। महिला की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है। न्यून शैक्षिक

स्तर का सीधा प्रभाव है इस मानव पूँजी (महिला) का निम्न स्तरीय विकास, कुशलता का निम्न स्तर तथा श्रम बाजार में न्यून भागीदारी। महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।

“संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। पूरे विश्व में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है। भारत में स्वतन्त्रता के समय यह स्थिति अत्यन्त विकट थी। पुरुषों में सारक्षता की दर 20 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता केवल 8.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 82 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखण्ड आदि राज्यों में यह 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है जहाँ केवल 51 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। इस परिस्थिति से स्पष्ट होता है स्वतन्त्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है।”

महिला सशक्तिकरण में राष्ट्रीय नीति 2020 की भूमिका—

हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं और भारतीयता का सुंदर संगम है। इस शिक्षा नीति के कई क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विशेष प्रावधान महिला सशक्तिकरण में अपनी विशेष भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र-छात्राओं को सुविधानुसार एवं समय की उपलब्धतानुसार शिक्षा प्राप्त करने के विशेष प्रावधान है। इससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रावधान के अन्तर्गत समय अभाव अथवा पढ़ाई बीच में छूट जाने पर भी इसे सम्पूर्णता प्रदान करने का प्रावधान महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् स्नातक करते-करते वयस्क होने की अवस्था में कई कन्याओं का विवाह कर दिया जाता है। भारतीय समाज में विवाह को एक संस्कार माना गया है जो एक लम्बे समय तक चलने वाला समारोह होता है। ऐसी स्थिति में कन्याओं का अध्ययन कई अवसरों पर बीच में छूट जाता है अर्थात् कई कन्याओं को परिस्थितिवश कॉलेज शिक्षा बीच में ही छोड़नी होती है। जहाँ पूर्व शिक्षा नीति अनुसार स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में किसी प्रकार का डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त नहीं होती थी वहीं अब इस प्रकार के छात्रों अथवा महिलाओं के लिये सुनहरा अवसर यह होता है कि यदि महिला कॉलेज में पहले वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करती है तो उसे सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष पर डिप्लोमा व तीसरे और चौथे वर्ष में डिग्री दी जाती है। वैसे तो यह नीति सभी के लिए उपयोगी है पर यह छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी है। नई शिक्षा नीति में लिंग-समावेशी कोष की स्थापना एक ऐतिहासिक पहल है। इस शिक्षा नीति

अनुसार छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान की जाएगी। जहां विद्यालय निवास स्थान से अधिक दूरी, ग्रामीण अंचलो, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों में स्थित हैं वहां बालिका छात्रावासों की निशुल्क व्यवस्था की जाएगी।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन योजना—

केन्द्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर हाल में अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से बालिकाओं को हौसला मिल रहा है। इसमें प्रमुख रूप से बेटा बचाओ, बेटा बढ़ाओ योजना है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। 100 करोड़ रुपये के शुरुआती कोश के साथ यह योजना शुरू में देशभर के सौ जिलों में शुरू की गयी। खासकर उन जिलों में जहाँ लिंगानुपात बेहद कम था। बाद में इसका विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया है। इस योजना के तहत हर लड़की के लिए पैसे बचाने की और लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना शुरू की। बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ही घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह पहल की गयी। यह योजना माता पिता को अपनी लड़की की बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही केन्द्र की ओर से शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 उपखण्डों में दसवीं और बारवीं कक्षा की छात्राओं के लिए 100 बिस्तरों वाले छात्रावासों की स्थापना की है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की 14 से 18 साल की ऐसी बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का शुभ आरम्भ किया गया था। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत पहले दो वर्ष तक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला सामख्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शुरू की गयी थी। बाद में इसे सर्वशिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया।

शोध साहित्य का सर्वेक्षण—

भारतीय महिला जीवन में यदि शिक्षा की बात की जाए तो हम पाएंगे की इसमें कभी भी निरंतरता नहीं रही। किसी समय काल में भारतीय महिलाएँ पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त एवं शिक्षित रहीं तो अन्य युगों में उसे योजनाबद्ध तरीकों से शिक्षा से वंचित रखते हुए घर की चार दिवारी में सीमित कर दिया गया।

सम्मान, भूमिका—प्रधान, अधिकारों एवं शिक्षा की दृष्टि से वैदिक काल भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। तत्कालिन साहित्य में पर्दा—प्रथा, लिंग—भेद, शिक्षा से दूरी अथवा घर तक सीमित भूमिका का उल्लेख नहीं मिलता (मिश्र; 2006)। महाभारत में कहीं भी परदे का कुप्रथा के रूप में उल्लेख नहीं मिलता।

शिक्षा जागरूकता उत्पन्न करती है और जागरूकता अधिकारों से अवगत करवाती है। ज्ञान एवं बुद्धि व्यक्ति को चौकन्ना एवं जागरूक बनाती है (यादव; 2021)। शिक्षित मनुष्य अपने आचरण से यह आभास करवाता है कि वह ब्रह्मांड के शेष जीवों में तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है। शिक्षा मानव के बौद्धिक विकास के साथ उसे हर समस्या अथवा विकट स्थिति का सामना एवं उसका हल निकालने को सक्षम बनाती है। जे. कृष्णमूर्ति अपनी पुस्तक “शिक्षा क्या है” में लिखते हैं कि सम्यक शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को इस जीवन का सामना करने में सहायता करे। ताकि वह जीवन को समझे उससे हार न माने, उसके बोझ तले दब न जाए। जैसा कि हममें से अधिकांशों के साथ होता है (कृष्णमूर्ति; 2020)। सर्वभौमिक उच्चतर शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।

महिला शिक्षा के महत्व—

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण संघटक और हस्तक्षेप है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है कि किस प्रकार शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक है या शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं में तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त होगा जो उन्हें अपमान पूर्ण और मानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करेगा।

शिक्षा एवं सशक्तिकरण के सहसम्बन्ध—

प्रस्तुत अध्ययन में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा और सशक्तिकरण में क्या सहसम्बन्ध है? शिक्षा महिलाओं को पितृसत्तात्मक ज्ञान, नियमों, मूल्यों, व्यवहार पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सामूहिक कार्यवाही और चिन्तन की एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों पर शिक्षा का प्रभाव अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं की परिवर्तित प्रस्थिति पर शिक्षा का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? सशक्तिकरण में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के महिलाओं की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन असम्भव है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आयी है, वे अपने बारे में सोचने लगी हैं, उन्होंने महसूस किया है कि घर से बाहर भी जीवन है, महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, उनके व्यक्तित्व में निखार आया है। महिलाएँ न केवल सामान्य शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा कालेजों में ही जा रही हैं बल्कि

मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर रही हैं, वायु सेना और नौ सेना में अपनी सेवा प्रदान कर रही है।

महिला शिक्षा के मार्ग हो रही बाधाएँ—

शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं का सशक्तिकरण सम्भव है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया कि वे कौन-कौन सी बाधाएँ हैं जिनके कारण महिलाएँ शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। अध्ययन में पाया गया है लैंगिक भेदभाव, पारिवारिक परम्पराएँ, परदाप्रथा, बाल विवाह, निर्धनता, सामाजिक, आर्थिक पहलू, घर से विद्यालय की दूरी आदि महिला शिक्षा में प्रमुख बाधाएँ हैं।

स्वतन्त्रता के बाद से केन्द्र और राज्य सरकारें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को शिक्षा की धारा में शामिल करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। वर्ष 2001 में समग्र साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी तथा पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 75.85 प्रतिशत तथा 54.16 प्रतिशत थी तथा 2011 में समग्र साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी तथा पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 82.14 प्रतिशत तथा 65.46 प्रतिशत थी। यद्यपि पिछले दशकों से महिला साक्षरता में अधिकतम सुधार हुआ है फिर भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग आज भी शिक्षा से वंचित है। महिला शिक्षा के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएँ हैं —

भारत में शिक्षा में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव देखने को मिलता है। स्कूलों में लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा प्रवेश लेते हैं और एक निश्चित स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। लड़कियाँ घर पर अपनी माताओं का हाथ बटाती हैं, बाहर काम पर जाती हैं या अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करती हैं। विज्ञान और इंजीनियरी में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक प्रवेश लेते हैं और लड़कियाँ निचले स्तर के पाठ्यक्रमों तथा कालेजों में जाती हैं विज्ञान, टेक्नोलोजी तथा इंजीनियरी शिक्षा के क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियों के बीच असमान वितरण है, किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उनकी अभिरुचियों में कोई अन्तर है। अभिभावक बेटियों की पढ़ाई को विवाह पर होने वाले खर्च के साथ जोड़ते हैं। इसी कारण वे अपनी लड़कियों को उसी स्तर तक पढ़ाते हैं जहाँ वे उनके लिए सुयोग्य वर ढूँढ सकें। छोटी आयु में विवाह होने के कारण लड़कियों को पढ़ाई के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। निर्धनता निर्धनता लड़कियों को शिक्षित होने के अवसरों में स्पष्ट रूप से बाधा डालती है। अध्ययन दर्शाते हैं कि निर्धन परिवारों में लड़कियाँ गृहकार्य पूरा करती हैं। छोटे बहन भाईयों की देखभाल करती हैं और कृषि कार्यों में अपने माता पिता का हाथ बटाती हैं। उनके पास विद्यालय जानें के लिए समय नहीं बचता। लड़कों के कार्य से भिन्न लड़कियों के कार्य को महिलाओं द्वारा किये जाने वाला कार्य समझा जाता है। माता पिता की बेटे और बेटियों के समाजीकरण में भेदभाव की मनोवृत्ति दोनों को भूमिका और दायित्व निर्धारित करने

में प्रकट होती है। दिल्ली के विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभिभावकों पर किये गये एक अध्ययन से पता लगता है कि उन्हें अपने बेटों और बेटियों से भिन्न-भिन्न अपेक्षाएँ होती हैं। बेटों से प्रायः घर से बाहर के कार्य करने के लिए कहा जाता है जबकि बेटियों से रसोई घर में हाथ बटवाने की आशा की जाती है। माता पिता बेटे की पढ़ाई को भविष्य में अच्छे रोजगार अवसरों के लिए एक निवेश मानते हैं जिसके द्वारा उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित हो जायेगी। बेटों की पढ़ाई पर इस तरह की बातों का ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए उसे प्राथमिकता नहीं दी जाती। घर से विद्यालय की दूरी होने से अभी भी असंख्य बच्चों हैं जिनके लिए प्राथमिक विद्यालय तक पहुँचना आसान नहीं है। ये समस्या लड़कियों के मामले में उच्चतर प्राथमिक स्तर पर और भी गम्भीर हो जाती है। सर्वेक्षण से पता लगता है कि केवल 37 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को निवास स्थान के नजदीक उच्चतर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। इसमें से तीन किलोमीटर की सीमा में 48 प्रतिशत बच्चों को एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। 15 प्रतिशत आबादी 3 किलोमीटर से अधिक दूर है, जिन पाँच राज्यों में प्रोब सर्वेक्षण हुआ था वहाँ पाया गया कि जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं वहाँ लड़कियाँ प्रायः कक्षा पाँच के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसका कारण यह है कि माता पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांवों में भेजना पसंद नहीं करते।

विद्यालय में अध्यापिकाओं की उपस्थिति लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने में एक निर्णायक निवेश के रूप में कार्य करती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहाँ महिला साक्षरता दर कम है वहाँ अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी बहुत कम है। प्राथमिक स्तर में वहाँ क्रमशः 25.49 प्रतिशत और 19.84 प्रतिशत अध्यापिकाएँ हैं। यह केरल के विपरीत है जहाँ उच्चतम साक्षरता दर के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी उच्च है। प्रोब सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के अनेक भागों में अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए अध्यापिकाएँ होनी चाहिए। विद्यालयों द्वारा लड़कियों को अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए, जैसे लड़कियों के लिए अलग शौचालय। छठा अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण बताता है कि भारत में केवल 5.12 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों तथा 17.17 प्रतिशत उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय है। “हावर्ड विश्वविद्यालय विश्व आर्थिक मंच तथा लंदन बिजनेस स्कूल द्वारा किये गये सर्वेक्षण में दुनियाँ की 60 प्रतिशत जनसंख्या के आंकड़ों को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण में आर्थिक साझेदारी व अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच अन्तर को मापने की कोशिश की गयी। इंडेक्स द्वारा जारी 115 देशों की सूची में दुनियाँ का एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ इन चारों क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों में समानता है। सूची में महिला सशक्तिकरण के मामले में स्वीडन पहले स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब सबसे नीचे। अमेरिका को 22 वां स्थान मिला है। फिलीपींस दुनियाँ के उन पाँच

देशों में से एक मात्र एशियाई देश है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला पुरुष असमानता को समाप्त किया है।”

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1996) ने स्पष्ट किया कि समानता का सम्मान करने के लिए शिक्षा जगत में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना होगा। विश्व शिक्षा रिपोर्ट (1995) में स्पष्ट किया गया कि “दुनियाँ के निर्धन देशों में महिला एवं बालिकाएँ घर की चारदीवारी में बन्द हैं। अशिक्षित माँ अशिक्षित बालिकाओं को जन्म देती हैं और उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है। इससे गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का एक अनन्त चक्र प्रारम्भ होता है।”

निष्कर्ष—

महिलाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता, लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देशभर में शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बड़ी सावधानीपूर्वक बनायी गयी योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिए महिला शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा। महिलाओं को शैक्षिक रूप से और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए तथा बेटे और बेटों की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की घर से भौगोलिक दूर का कम किया जाना चाहिए। जनता में महिला शिक्षा, के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधारकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। आवासीय कन्या पाठशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को निर्धन पिछड़े तथा कमजोर वर्गों में बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में जहाँ महिलाएँ काम करती हैं। बालगृहों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि लड़कियों को स्कूल छोड़कर अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर न रुकना पड़े।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों को देखते हुए सहज ही कहा जा सकता है कि यह शिक्षा नीति महिलाओं के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी। छात्रा सुरक्षा एवं अधिकाधिक छात्रवृत्तियाँ महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने को प्रेरित करेगी। कहा जा सकता है महिला शिक्षा क्षेत्र में इस नीति में सजगता बरती गई है। समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महिला अबला नारी के रूप में सुदृढ़ होकर पुरुष से कदम से

कदम मिलाने को प्रयासरत है और उपर्युक्त अध्ययन से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे-जैसे महिलाओं का शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है अर्थात् वे शिक्षित हुई हैं, वैसे-वैसे वे सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुई हैं तथा आत्मनिर्भर बनी हैं। अतः महिला और पुरुष दोनों रथ के पहियों के समान हैं। यदि एक निर्बल और घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्विघ्न आगे नहीं बढ़ सकता है। स्पष्ट है कि शिक्षित नारी का उभरता हुआ कदम क्या होगा, समय ही बतायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

- यादव सांवर सिंह (2024), “सावित्रीबाई फुले” राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
- बघेला, डॉ. हेत सिंह (1999), “शिक्षा मनोविज्ञान”, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
- कानिटकर मुंकुल ‘भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका,’ योजना सितम्बर 2016
- मकोल नीलम, शर्मा संदीप (2020), सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान।
- मिश्र जय शंकर (2024), “प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास”, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, दशम् संस्करण।
- मिश्रा के.के. (1965), “विकास का समाजशास्त्र”, वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर।
- तिवारी, आर.पी. (1999), “भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान”, नई दिल्ली।
- श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999), “भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति”, कॉमनवेल्थस पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- डॉ सिंह अविनाश कुमार (2024), नए भारत की नीव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- डॉ. अग्रवाल प्रमोद कुमार (2023), “भारत का संविधान” प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- देवपुरा प्रतापभल (2019), ‘महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व’ कुरुक्षेत्र।
- व्यास डॉ० मिनाक्षी, नारी चेतना और सामाजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशनस, कानपुर 2008
- जे. कृष्णमूर्ति (2023), “शिक्षा क्या है” (विनय कुमार वैद्य द्वारा अनुवादित) राजपाल एंड संस, दिल्ली।
- जैन, प्रतिभा (1998), “भारतीय स्त्री : सांस्कृतिक सन्दर्भ”, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- अंसारी, एम.ए. (2001), “महिला और मानवाधिकार”, ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
- लवानिया, एम.एम. (1989), “समाजशास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियाँ”, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।